सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 19, सोमवार, *शाके* 1947- जून 09, 2025	
Jyaistha 19, Monday, Saka 1947- June 09, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 02, 2025

संख्या प.4(9) कृषि/ग्रुप-2/2017 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 17.09.2022 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, औसियां-मथानिया, जोधपुर की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, औसियां-मथानिया, जोधपुर द्वारा मण्डी क्षेत्र के ग्राम वापिणी में गौण मण्डी यार्ड घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम वापिणी में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होंगीः-

पूर्व में - आई.टी.आई. भवन

पश्चिम में- बिजलीघर 33 के.वी.

उत्तर में - पंचायत भवन

दक्षिण में- गौशाला

गौण मण्डी यार्ड वापिणी की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकाने एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अशोक कुमार मीणा,
शासन उप सचिव।

6270

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।